न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 10/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरसिंह पुत्र दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी नोखाजोधा तहसील जायल।		नायब तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री गोपाल गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 22-07-2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 27/2020 सरकार बनाम भंवरसिंह में निर्णय दिनांक 17.07.2020 के तहत मौजा नोखाजोधा के खसरा नं. 106 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.02.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सांजू की पत्रावली सं. 27/20 सरकार बनाम भंवरसिंह की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 17.07.20 को नियत की और अपीलांट को जानकारी होते ही तुरंत आगामी पेशी दिनांक 17.07.20 को तहसील कार्यालय मे उपस्थित होकर इस बारे मे पूछताछ व जानकारी की तो उसको यह बताया गया कि इस प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात की नकले लेने व जवाब पेश करने हेतु आपको बाद मे सूचित कर देगे व नोटिस आ जायेगा तब आकर अपना जवाब व साक्ष्य सबूत पेश कर देना जिससे अपीलांट संतुष्ट हो गया व खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करके चला गया लेकिन बाद मे उसी दिन उक्त आदेशिका मे अपीलांट को अतिक्रमी बताते हुए उसके विरूद्व आदेश/निर्णय पारित कर दिया व अलग से निर्णय लिखवाने की आदेशिका दर्ज की गयी, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही रही व अपीलांट अपना जवाब आदि पेश करने के लिये तहसील के नोटिस के इंतजार मे रहा और हाल ही मे पटवारी वगेरा द्वारा गांव मे अपीलांट के विरूद्व उसकी पीढियो पुरानी कब्जासुद उपयोग उपभोग की नियमन योग्य भूमि के संबंध मे अतिक्रमण का फैसला होने के बारे मे चर्चा करने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर पता किया व नकलो का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 23.12.20 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर आदेश/निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई, फिर अपील की कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी करके नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील पेश की। जिसे देरी माफ कर अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–चूंकि अपीलांट के विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही रही थी, अपीलांट के सामने न तो कभी कोई पटवारी मौका निरीक्षण करने आया न अपीलांट के सामने निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया न मौका निरीक्षण करवाया गया न भूमि की गलत दर्ज किस्म बाबत कोई जांच की गयी तथा मौके पर अपीलांट का पीढियो से कब्जा उपयोग उपभोग बाडे के रूप मे रहता चला आया है व पुराने कब्जे के आधार पर गांव के अन्य लोगो के पक्ष मे नियमन हो रखे है अपीलांट भी नियमन का पात्र होते हुए भी व सरकारी परिपत्रो के अनुसार नियमन करवाने का अधिकारी होते हुए भी उसे जानबूझ कर जवाबदेही साक्ष्य सबूत से वंचित रखते हुए मात्र दूसरी पेशी पर ही यानि मात्र एक सप्ताह मे ही निर्णय पारित कर दिया है जो सरसरी तौर पर आनन फानन मे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया होने से स्पष्ट हो रहा है ऐसी स्थिति मे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट को प्रकरण हाजा मे साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर दिया जाता तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर जानबूझ कर अपीलांट को उसके विधिक अधिकारो से वंचित रखवाया गया है क्योकि वास्तविकता तो यह है कि अपीलांट के पडोसी व कुछ असामाजिक तत्व मिलकर अपीलांट की उक्त पीढियो पुरानी जमीन को खुर्द बुर्द करके उसमे से जबरन रास्ता निकालने के लिये आमादा हुए जिनको अपीलांट ने ऐसा नही करने दिया तो उन्होने षडयंत्र रच कर सलाह मशविरा करके अपीलांट पर दबाव बनाने व नाजायज नुकसान पहुँचाने के लिये पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवायी है जबकि अपीलांट का कोई नया कब्जा नही है पीढियो से कब्जा उपयोग उपभोग होता रहा है जो जायगा चारो तरफ से कवर्ड है अपीलांट के घर का सामान, पशुओ का चारा फूस रहता है पशुधन बांधते है व आवास के काम मे भी आ रही है यदि नाजायज कब्जा होता तो पचास साल मे कभी ऐसी कार्यवाही क्यो नही हुई व अन्य कई प्रश्न है जिनका निर्णय होता व पटवारी वगैरा से ज़िरह की जाती व जवाब पत्रावली पर पेश किया जाता, मौके की वास्तविक स्थिति सामने आती मगर इन सभी से अपीलांट को जानबूझ कर वंचित रखा जाकर उसकी पीठ पीछे जैर अपील पारित किया है जो विधिक निर्णय की श्रेणी मे ही नही आता है।

{2}(IV)–किसी भी प्रकरण मे प्रकरण दर्ज होकर दूसरी पेशी पर तलब किया जाता है व उसके विरूद्व लगाये आक्षेपो के बारे मे बताकर उसको जवाब व साक्ष्य सबूत, जिरह आदि का अवसर दिया जाकर आगामी पेशियो पर निर्णय किया जाता है यही विधिक प्रक्रिया है मगर प्रकरण मे मात्र दो आदेशिक दर्ज है प्रथम आदेशिका मे मामला दर्ज कर गैर सायल को तलब करने की है और दिनांक 17.07.20 को तलब करने की आदेशिका होते हुए भी उसी दिन फैसला कर दिया है जो खुलमखुला विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है जबकि दूसरी पेशी तो सिर्फ तलब कर हाजिर होने की थी, क्योकि प्रथम आदेशिका मे यह नही लिखा गया है कि दूसरी पेशी पर जवाब, साक्ष्य पेश करे अन्यथा निर्णय दिया जावेगा मात्र यह लिखा है कि गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.07.20 को पेश हो और गैर सायल हाजिर हुआ उसे यह जानकारी थोडी थी कि उसी दिन उसके हस्ताक्षर करवा कर भेज दिया जायेगा, अपीलांट के साथ विश्वासघात व धोखा हुआ है उससे नाराजगी रखने वाले लोगो की चाल से सारी गैर कानूनी कार्यवाही हुई है इसलिये कथित निर्णय निरंकुश निर्णय की तारीफ मे आता है व खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट का उक्त जायगा पर कदीमी उसके पिता के समय से कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है इस बाबत शुरू से ही हर्जाना, लगान आदि की टी पी दर्ज होती रही है। जिससे अपीलांट का पुराना कब्जा साबित होने से नियमन का पात्र है व उसके विरूद्व नया कब्जा बताकर पारित आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने कथित पृथक से जो निर्णय लिखाना बताया है वह एक प्रिन्टेड फार्म है। जिसमे मात्र खाली जगह भर कर औपचारिकता पूरी की है। खुलासा विवेचन विश्लेषण किया हुआ नही है व अपीलांट को साक्ष्य सबूत आदि का अवसर दिये बिना ही यह लिख दिया है कि साक्ष्य व जवाब पेश नही किया है। अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का अवसर ही नही दिया गया है। यदि अवसर दिया जाता तो जवाब व साक्ष्य पेश की जाती और उस स्थिति मे ऐसा निर्णय कतई नही हो सकता था। इस कारण भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नोखाजोधा में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया

है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नोखाजोधा के खसरा नंबर 106 गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर